बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–33/2026– 2532 पटना, दिनांक : 31.10.2026

आदेश

दिनांक 01.10.2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 का उल्लेख करते हुये राज्य की विभिन्न नदियों में जमा गाद की निकासी कर बिहार में प्रस्तावित राजमार्ग/पथ निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके लिये जल संसाधन विभाग, बिहार से निःशुल्क गाद की निकासी हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधीन चिन्हित जलस्रोतों से गाद की निकासी कर राजमार्ग/पथ निर्माण आदि परियोजनाओं में निम्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है :–

(i) अधियाचित विभाग/उपक्रम को चिन्हित जलस्रोत से निकाले गये गाद के उपयोग के लिये बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 की कंडिका–11 में उल्लेखित जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान की राशि पर छूट प्रदान की जाती है।

(ii) अधियाचित विभाग/उपक्रम द्वारा नदी से गाद की निकासी बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 में उल्लिखित विशिष्टता के अनुरूप पूरी फीनिशिंग के साथ की जायेगी।

(iii) इसके सर्वेक्षण एवं अनुश्रवण आदि पर होने वाले व्यय का वहन अधियाची विभाग/उपक्रम द्वारा किया जायेगा।

3. उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

31/10/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–33/2026– 2532 पटना, दिनांक : 31.10.2026

प्रतिलिपि : NHAI/MoRTH/RCD Bihar के विभागाध्यक्ष/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–33/2026– 2532 पटना, दिनांक : 31.10.2026

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

31/10/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)